रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1998 (माघ 4, 1919)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1998 (MAGHA 4, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	55
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	85
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	133
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना	53
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	147
भाग III—खण्ड 3—अन्य आयुक्तों से प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	421
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	11
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में डाक और मूल्यु के आंकड़ों को बताने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	55
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	85
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	133
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general char cter) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	53
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	147
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	421
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	11
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi	

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1997

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पूर्वी हिमालय क्षेत्र (जोन-2) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इस के यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

अध्यक्ष

1. डा. ए. के. मुखोपाध्याय, उप कुलपति कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

सदस्य

2. उप कुलपति, बी. सी. के.वी., पश्चिम बंगाल।
3. उप कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर।

4-48 (1) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि

(2) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन

(3) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन

(4) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र

(5) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक

जोन में आने वाले राज्य

(1) असम (दिसपुर)
(2) पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)
(3) अरूणाचल प्रदेश (इटा नगर)
(4) मणिपुर (इम्फाल)
(5) मेघालय (शिलांग)
(6) मिजोरम (आईजवाल)
(7) नागालैण्ड (कोहिमा)
(8) त्रिपुरा (अगरतला)
(9) सिक्किम (गंगटोक)

49. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि

50. एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि

51. क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि श्री नटवर मुक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, डाक घर चथयनीलोंग, जिला योकोकसुंग, नागालैण्ड

52. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

53. आई सी ए आर, मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

54. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

55. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

56. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

57. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

58. निदेशक, पदमजा नायडू,
हिमालय चिड़ियाघर दार्जिलिंग,
(पश्चिम बंगाल) ।

59. जनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव को ए सी आर पी का कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हैं । कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना

(3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्र तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एजीसार पी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।

(5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।

(6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों को समय को चरणबद्ध करना ।

(7) इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तर-दायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना,

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना,

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये ।

एस. एन. ब्रह्मचौधरी
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 14 जुलाई 1997

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र (जोन-1) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाना है । वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी ।

अध्यक्ष

1. डा. आर. पी. एस. त्यागी, उप कुलपति,
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर,
हिमाचल प्रदेश

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

सदस्य

2. डा. वाई. एस. परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय; (वाया उरबाघाट), सोलन हिमाचल प्रदेश।

3. (1) कृषि विज्ञान का शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय, शालीमार कैम्पस, श्रीनगर-191001।

(2) 45-बी, गांधी नगर, जम्मूतवी, जम्मू-180004।

4. पर्वतीय कृषि एवं वानिकी डीन कालेज, जीबीपीयूएटी का रानी चौरी कैम्पस (उप कुलपति के मनोनीत, जीबीपीयूएटी पंत नगर, (नैनीताल)

सदस्य

5-19 (1) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि

(2) जोन में राज्य सकारों के सचिव, पशु पालन

(3) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन

(4) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र

(5) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक।

जोन में आने वाले राज्य

(1) जम्मू एवं कश्मीर

(2) हिमाचल प्रदेश

(3) उत्तर प्रदेश

सदस्य

20. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक का प्रतिनिधि

21. एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड) का प्रतिनिधि

22. *क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों का प्रतिनिधि

23. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

24. आई सी ए आर, मख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

25. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

26. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

27. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि

28. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

29. पशु पालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य-सचिव

30. *जोनल आयोजना टीम के लिए

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव तथा गैर सरकारी संगठन के सदस्यों को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि में सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण, प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(3) मृदा सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्न) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना है।

(5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विकास के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे परताओं के समय को चरणबद्ध करना।

(7) इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों; भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये ।

एस. एन. बहुगुणे चौधरी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एपी का अतिक्रमण करते हुए गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र (जोन-3) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है । वित्तीय वर्ष (1997—2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष

1. डा. एम. जी. सोम, उप कुलपति,
विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी),
मोहनपुर, जिला नदिया,
पश्चिमी बंगाल

सदस्य

2—6 (1) कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव, कृषि एवं उद्यान कृषि,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(2) सचिव, पशुपालन,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(3) सचिव, मछली पालन,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(4) सचिव, सिंचाई एवं कमान क्षेत्र,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(5) पश्चिम बंगाल सरकार के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक ।

जोन में राज्य

(1) पश्चिम बंगाल

सदस्य

7. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि ।

8. एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड) का प्रतिनिधि ।

9. *क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि ।

10. योजना आयोग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

11. आई सी ए आर,
मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

12. कृषि और सहकारिता विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

13. जल संसाधन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

14. पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

15. बंजर भूमि विकास विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

16. पशु पालन एवं डेयरी विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

17. *जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य-सचिव ।

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेआरटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो ।

*गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को आयोजना टीम के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग नई दिल्ली को सूचित करते हुए नामित किया जाना है । यह गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहा हो ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :—

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यरूपी योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना ।

(3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्न) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।

(5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसरण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।

(6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों को सर्वेक्षण को चरणबद्ध करना ।

(7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों को यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जायें ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये ।

एस. एन. बृह्मोपाध्याय
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1997

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं. एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र (जोन-4) से सम्बन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिये पुनर्गठित किया जाता है । जिसमें

वर्ष (1997—2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष

1. डा. के. एस. चौहान, उप कुलपति,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा,
जिला समस्तीपुर, बिहार-848125 ।

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

सदस्य

2. नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, जिला फैजाबाद,
उत्तर प्रदेश-224001 ।

3—12 (1) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि ।

(2) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन ।

(3) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन ।

(4) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र ।

(5) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक ।

जोन में आने वाले राज्य

(1) बिहार
(2) उत्तर प्रदेश

13. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि ।

14. एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि ।

15. क्षेत्र में सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ।

16. योजना आयोग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

17. आई सी ए आर, मुख्यालय,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

18. कृषि और सहकारिता विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

19. जल संसाधन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

20. पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

21. बंजर भूमि विकास विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

22. पशु पालन एवं डेयरी,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

23. *जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य-सचिव ।

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :—

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना ।

(3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।

(5) गैर-फसल कृषि, बागिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।

(6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

एम. एन. बुजरबोरुआ चौधरी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं. क्यू-11012/2/97-98 ए आर पी यू—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए उपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र (ज़ोन-

(5) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग, दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसकी यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है, वित्तीय वर्ष (1997—2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष

1. डा. आई. पी. एस. यादव, उप कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, कानपुर,
(उत्तर प्रदेश)-208002।

ज़ोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

सदस्य

2. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (जीबीपीयूएटी),
पंतनगर, जिला नैनीताल,
उत्तर प्रदेश।

3—7. (1) उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन
आयुक्त/सचिव, एवं उद्यान
कृषि।

आयुक्त/सचिव, कृषि एवं उद्यान

(2) सचिव,
पशुपालन, उत्तर प्रदेश सरकार।

(3) सचिव,
मछली पालन, उत्तर प्रदेश सरकार।

(4) सचिव,
सिंचाई और कमान क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश सरकार।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार के वनों
के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक।

ज़ोन में आने वाले राज्य

(1) उत्तर प्रदेश।

8. ज़ोन में आने वाले राज्यों के सहकारी
भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि।

9. एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड)
का सदस्य प्रतिनिधि।

10. *क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी
संगठनों के प्रतिनिधि।

11. योजना आयोग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि।

12. आई सी ए आर, मुख्यालय,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

13. कृषि और सहकारिता विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

14. जल संसाधन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

15. पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

16. बंजर भूमि विकास विभाग,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

17. पशु पालन एवं डेयरी,
भारत सरकार का प्रतिनिधि ।

सदस्य-सचिव

18. *जोनल आयोजना टीम हेतु
सदस्य-सचिव ।

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव राज्य और सरकारी संगठन को एन सी आर पी हेतु कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कार्यात्मक क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाता है । गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :—

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य की सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना ।

(3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्न) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्न्स) निकालना एवं सुझाना ।

(5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना ।

(6) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना ।

(7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप से, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों की यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाए ।

एस. एन. चक्रवर्ती
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

भारत सरकार के दिनांक 3 जून 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्रो का अतिक्रमण करते हुए गंगा पार के मैदानी क्षेत्र (जोन VI) संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजन यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है, वित्तीय वर्ष 1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :

1. डा० अमरजीत सिंह खैरा, उप कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना — अध्यक्ष

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

2. चौ० चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा-125004 — सदस्य

3. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334000 — सदस्य

4-28 (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव कृषि और उद्यान कृषि — सदस्य

(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन — सदस्य

(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन — सदस्य

(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र — सदस्य

(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ मुख्य संरक्षक — सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

(i) पंजाब
(ii) हरियाणा
(iii) राजस्थान
(iv) चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र
(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

29. जोन में आने वाले राज्यों की सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि — सदस्य

30. एम ए बी ए आर डी माथाई का सदस्य प्रतिनिधि — सदस्य

31. क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि — सदस्य

32. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

33. आई सी ए आर मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य

34. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

35. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

36. पर्यावरण और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

37. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

38. पशुपालन डेयरी भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

सदस्य सचिव

39. जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य सचिव जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलता पूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार, उनके विवेकानुसार नामित किया जाता है, गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सबंध क्षेत्रों के विकास में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण प्रचालनाकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उप क्षेत्रीयकरण एवं कृषि व जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके, (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फ़ स उगाने के तरीके (क्रॉपिंग पैटर्न) निकालना एवं सुझाना,

(v) गैर फसल कृषि वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना,

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को वचनबद्धता करना.

(vii) इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्राधिकृत करना,

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना,

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलु पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर/सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव है।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी आन्तिम रिपोर्ट कृषि जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंत्रालयों एवं विभागों को संबोधित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

एन० एन० बछोचौधरी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू०-11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन-VII) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिये पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997—2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

1. डा० के० प्रधान, उप कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर पिन-751003 — अध्यक्ष

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

2. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर जिला नादीया, पश्चिम बंगाल — सदस्य
3. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्य प्रदेश) — सदस्य
4. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची, बिहार, पिन कोड-834004
5. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र — सदस्य

30. (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि — सदस्य
(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन — सदस्य
(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन — सदस्य
(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र — सदस्य
(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ प्रधान/मुख्य संरक्षक — सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

(i) उड़ीसा
(ii) पश्चिम बंगाल
(iii) मध्य प्रदेश
(iv) बिहार
(v) महाराष्ट्र

31.	जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
32.	एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
33.*	क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
34.	योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
35.	आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
36.	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
37.	जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
38.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
39.	बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
40.	निदेशक पद्मजा नायडू, हिमालय चिड़िया घर दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल)	सदस्य

41. डा० बी० भूयन, प्रोफेसर तथा कृषि अर्थशास्त्र के प्रमुख, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003।

*गैर-सरकारी संगठनों को आयोजना टीम के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यकर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिये योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिये संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किये गये आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय संभावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए० सी० आर० पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस्) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना, ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्य के लिये आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा गहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा गठन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अन्तिम जिला रिपोर्ट कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

एस० एन० ब्रह्मचौधरी,
निदेशक (प्रशासन),

संकल्प

सं० क्यू० 11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एन०-13043/12/87-ए ग्री का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन-VIII), से संबन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिये पुनर्गठित किया जाता है, वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

1. डा० पंजाब सिंह, उप-कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, (जे० एन० के० वी० वी०) मध्य प्रदेश-जबलपुर-482004) — अध्यक्ष

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334001 — सदस्य
3. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 — सदस्य

4-18 (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि — सदस्य

(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, पशुपालन — सदस्य

(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन — सदस्य

(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र — सदस्य

(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक — सदस्य

जोन में आने वाले राज्य :

(i) मध्य प्रदेश
(ii) उत्तर प्रदेश
(iii) राजस्थान

19. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि — सदस्य

20. एन० ए० वी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि — सदस्य

21. *क्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि — सदस्य

22. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

23. आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य

24. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

25. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

26. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

27. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

28. पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

29. *जोनल आयोजना टीम हेतु — सदस्य सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को ए सी आर पी के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :—

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह या भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जलवायविक, क्षेत्रीय योजना (एसीआरपी) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु, विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सहकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मन्त्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर/सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों को तैयारी की शर्तों के आधार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बोधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये।

एस० एम० ब्रह्मचारी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू०-11012/2/97-98-ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के विनांक 3 जून 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एसी का अतिक्रमण करते हुए पश्चिमी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन IX) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :

1. डा० वाई० एस० नेरकर, उप-कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, (एम पी केवी), राहूरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र-413722 — अध्यक्ष

जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

2. पंजाबराव देशमुख, कृषि विद्यापीठ (पीकेवी), कृषि नगर, अकोला, महाराष्ट्र-444104 — सदस्य

3. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे एन के वी)-482004 जबलपुर, (मध्य प्रदेश) — सदस्य

4. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-33400 — सदस्य

5-19. (i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि — सदस्य

(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, पशुपालन — सदस्य

(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन — सदस्य

(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र। — सदस्य

(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ मुख्य संरक्षक	सदस्य
जोन में आने वाले राज्य	
(i) महाराष्ट्र	
(ii) मध्य प्रदेश	
(iii) राजस्थान	
20. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि ।	सदस्य
21. एन० ए० बी० ए० आर० डी०, (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि ।	सदस्य
22. *क्षेत्र से संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ।	सदस्य
23. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
24. आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।	सदस्य
25. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
26. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
27. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
28. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
29. पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
30. *जोनल आयोजन टीम हेतु सदस्य-सचिव ।	सदस्य सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० आर० पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाता है । गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजन कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना ।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन उन्नयन के निर्णय में मदद करना ।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय संरचनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आर०पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।

(v) गैर-फसल कृषि, बागिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना ।

(vii) इसके उद्देश्य के लिये आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु, विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता

है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना जल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका । एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-लिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों को संप्रेषित की जाये ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाये

एस० एन० चौधरी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं०-क्यू-11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम०-13043/12/87-एसी का अतिक्रमण करते हुए दक्षिणी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन-10) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है । वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी ।

1.	डा० पी० महादेवप्पा, उप कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)	अध्यक्ष
	जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	
2.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030.	सदस्य
3.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर-641003.	सदस्य
4.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर, कर्नाटक-560065	सदस्य
5-19	(i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और सहकार कृषि	सदस्य
	(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन	सदस्य
	(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन	सदस्य
	(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र	सदस्य
	(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक	सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

(i) आन्ध्र प्रदेश
(ii) कर्नाटक
(iii) तमिलनाडु

20.	जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
21.	एन०ए०बी०ए०आर०डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
22.	*क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी-संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
23.	योजना, आयोग भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
24.	आई०सी०ए०आर, मुख्यालय नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
25.	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
26.	जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
27.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
28.	बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
29.	पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
30.	*जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य सचिव	सदस्य-सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० आर० पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर सरकारी

संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०मो०आर०पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्य के लिए, आवश्यक अध्ययनों का उत्तर-दायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव है।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेविका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाय।

एस० एन० बहुगोचीधरी
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू०-11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०— भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम०-13043/12/87-एग्री० का अतिक्रमण करते हुए पूर्व तटीय मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन -XI) से सम्बन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

1. डा० ए० अब्दुल करीम, उप कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर 641003।	अध्यक्ष
जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	
2. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030	सदस्य
3. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751003	सदस्य
4-23(i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि	सदस्य
(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन	सदस्य
(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन	सदस्य

(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र	सदस्य
(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक	सदस्य
जोन में आने वाले राज्य	
(1) आंध्र प्रदेश	
(2) उड़ीसा	
(3) तमिलनाडु	
(4) पांडिचेरी संघ क्षेत्र	
24. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
25. एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
26. *क्षेत्र में सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
27. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
28. आई० सी० ए० आर०, मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
29. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
30. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
31. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
32. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
33. पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
34. *जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य सचिव	सदस्य-सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० आर० पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग से योजना-टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेडपीटी कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार पर उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पेट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए० सी० आर० पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना, ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(xi) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायिक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्टों जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाए।

एस० एम० ब्रह्मचौधरी,
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू०-11012/2/97-98 ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए पश्चिम तटीय मैदान एवं घाट क्षेत्र (जोन—12) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है । वित्तीय वर्ष (1997—2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी ।

1. डॉ० ए० जी० सावन्त, उप कुलपति कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र—415712 ।	अध्यक्ष
जोन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	
2. केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लनीक्करा, त्रिचूर—680654 ।	सदस्य
3. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक ।	सदस्य
4. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर—641003 ।	सदस्य
(i) जोन में राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि ।	सदस्य
(ii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव पशुपालन ।	सदस्य
(iii) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, मछली पालन ।	सदस्य
(iv) जोन में राज्य सरकारों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र ।	सदस्य
(v) जोन में राज्य सरकारों के वनों के प्रधान चीफ मुख्य/संरक्षक ।	सदस्य

जोन में आने वाले राज्य

(i) केरल
(ii) तमिलनाडु
(iii) कर्नाटक
(iv) महाराष्ट्र
(v) गोवा
(vi) पांडिचेरी (माहे)

35. जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि—विकास बैंक के प्रतिनिधि ।	सदस्य
36. एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि ।	सदस्य
37. *क्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि ।	सदस्य
38. योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
39. आई० सी० ए० आर०, मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
40. कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
41. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
42. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
43. बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य
44. पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि ।	सदस्य

45. **जोनल आयोजना हेतु सदस्य सचिव जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए० सी० आर० पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जड़०

पी०टी० कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है। गैर सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन, एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावर्णीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आर०पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना, ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु वित्त रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों/एवं विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाए।

एस० एन० मुखोपाध्याय
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू-11012 2/97-98-ए० आर० पी० यू०—भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए गुजरात के मैदान एवं पर्वतीय क्षेत्र (जोन-XIII) से सम्बन्धित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :

1. डा० सी० एच० राणा, अध्यक्ष
उप कुलपति,
गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
सरदार कृषि नगर,
जिला-बनासकांठा-385506।

2–16. (i)	जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रसरकारों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि ।	सदस्य
(ii)	जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र के सरकारों के सचिव, पशुपालन ।	सदस्य
(iii)	जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र सरकारों के सचिव, मछली पालन ।	सदस्य
(iv)	जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र सरकारों के सचिव, सिचाई और कमान क्षेत्र ।	सदस्य
(v)	जोन में राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र सरकारों के वनों सदस्य के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक ।	सदस्य

जोन में आने वाले राज्य एवं संघ क्षेत्र

(i) गुजरात
(ii) दादरा एवं नगर हवेली संघ क्षेत्र
(iii) दमन एवं दीव संघ क्षेत्र

17.	जोन मे आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
19.	*क्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
20.	योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
21.	आई०सी०ए०आर मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
22.	कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
23.	जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
25.	बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
26.	पशु पालन एवं डेयरी भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य

27. *जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य सचिव एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य को ए०सी०आर०पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलतापूर्वक जेड०पी०टी० कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है । गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो ।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और और उन्हें मिलाना ।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना ।

(iii) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकी ने सम्भावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आर०पी०) आंकड़ों विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पेटर्नस) निकालना एवं सुझाना ।

(v) गैर-फसल कृषि, बागिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही हाथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों समय को चरणबद्ध करना ।

(vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना ।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना ।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी पहलू पर विचार करना ।

4. दल की बैठकों के संबंध में टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग को संबोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं ।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिसारिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति-लिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों को प्रेषित की जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकल्प का प्रकाशन, भारत सरकार के राजपत्र में कराया जाये ।

एस० एन० ब्रह्मचौधरी,
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

सं० क्यू–11912 /97–98ए०आर० पी० यू०–भारत सरकार के दिनांक जून, 1988 के संकल्प सं० एम–13043/12/87–एग्री का अतिक्रमण करते हुए पश्चिमी शुष्क क्षेत्र (जोन–XIV) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग, दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुन-र्गठित किया जाता है वित्तीय वर्ष (1997–2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी :

1.	डॉ० आर० के० पटेल, उपकुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334001	अध्यक्ष
2–6.	(i) राजस्थान राज्य सरकार का कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव, कृषि और उद्यान कृषि	सदस्य
	(ii) राजस्थान सरकार का सचिव, पशुपालन	सदस्य
	(iii) राजस्थान सरकार का सचिव, मछली पालन	सदस्य
	(iv) राजस्थान सरकार का सचिव, सिंचाई और कमांड क्षेत्र सदस्य	सदस्य
	(v) राजस्थान सरकार के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक	सदस्य

जोन में आने वाले राज्य एवं संघ क्षेत्र

(1) राजस्थान

7.	जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	एन०ए०बी०ए०आर०डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
9.	*क्षेत्र में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	आई० सी० ए० आर० मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
14.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	*जोनल आयोजना टीम हेतु सदस्य-सचिव	सदस्य-सचिव

*जोनल आयोजना टीम के लिए सदस्य-सचिव एवं गैर-सरकारी संगठन के सदस्य, को ए०सी० आर०पी० के कार्य कर रहे विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग से योजना टीम के अध्यक्ष द्वारा अथवा कृषि आर्थिक-अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग, नई दिल्ली को सूचित करते हुए कुशलता-पूर्वक जे०पी०टी० कार्य करने वाले व्यक्ति की क्षमता उनके विवेक और उपलब्धता के आधार उनके विवेकानुसार नामित किया जाना है, गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(i) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के सांस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(ii) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(iii) मृदा सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन) पशुधन एवं अन्य क्षेत्रगत क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रोद्यौगिकीय सम्भावनायें एवं इनके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए०सी०आर०पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैट्रन्स) निकालना एवं सुझाना।

(v) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(vi) क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(vii) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(viii) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(ix) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के सम्बन्ध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

5. योजना दल के सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को सम्बोधित किया जा सकता है जो कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि-जलवायाविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिच्छेदिका एवं अन्य आंकड़ों की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाए।

एस० एन० भट्टाचौधरी,
निदेशक (प्रशासन)

संकल्प

भारत सरकार के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प सं० एम-13043/12/87-एग्री का अतिक्रमण करते हुए प्रायद्वीप क्षेत्र (जोन-15) से संबंधित योजना टीम को योजना आयोग दिल्ली के कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना यूनिट और अहमदाबाद में इसके यूनिट को सहायता देने के लिए पुनर्गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष (1997-2002) तक नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

2. पुनर्गठित टीम की संरचना निम्नानुसार होगी।

1.	डा० जी० बी० सिंह, उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष
2--11	(i) जोन में संघ क्षेत्रों के कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि और उद्यान कृषि	सदस्य

(ii)	जोन में संघ क्षेत्रों के सचिव, पशुपालन	सदस्य
(iii)	जोन में संघ क्षेत्रों के सचिव, मछली पालन	सदस्य
(v)	जोन में संघ क्षेत्रों के सचिव, सिंचाई और कमान क्षेत्र	सदस्य
(vi)	जोन में संघ क्षेत्रों के वनों के प्रधान चीफ/मुख्य संरक्षक	सदस्य

जोन में आने वाले संघ क्षेत्र

(i) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह

(ii) लक्षद्वीप

12.	जोन में आने वाले राज्यों के सहकारी भूमि-विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	एन० ए० बी० ए० आर० डी० (नाबार्ड) का सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
14.	*क्षेत्र में संबंधित गैर सरकारी- संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	आई० सी० ए० आर०, मुख्यालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
18.	जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
19.	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
20.	बंजर भूमि विकास विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
21.	पशु पालन एवं डेयरी, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
22.	डा० ए० के० बंद्योपाध्याय, निदेशक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थापना, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, पिन कोड-744101।	सदस्य-सचिव

*गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को आयोजना टीम के अध्यक्ष द्वारा योजना आयोग नई दिल्ली को सूचित करते हुए नामित किया जाना है। यह गैर-सरकारी संगठन ऐसा होना चाहिए जो जोन में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहा हो।

3. आयोजना टीम के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(1) कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के संस्थानीकरण/प्रचालनीकरण के लिए योजना आयोग/राज्य सरकार और जिला स्तर की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि जलवायु जोनल आयोजना कार्य को सहायता देने के लिए संगत सूचना व आंकड़े एकत्र करना और उन्हें मिलाना।

(2) पूर्व में प्राप्त किए गए आंकड़ों की जांच करना तथा उपक्षेत्रीयकरण एवं कृषि-जलवायविक आधार पर कार्यात्मक योजना हेतु अपेक्षित किसी अन्य प्रासंगिक सूचना पर समायोजन/उन्नयन के निर्णय में मदद करना।

(3) मृदा, सतह तथा भूमिगत जल, फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्न) पशुधन एवं अन्य प्रासंगिक क्षेत्रक तथा इन क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय संभावनाएं एवं इनके पर्यावरणीय, समाजिक एवं आर्थिक कारकों के संबंध में कृषि-जलवायविक क्षेत्रीय योजना (ए० सी० आर० पी०) आंकड़ों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों हेतु फसल उगाने के तरीके (क्रोपिंग पैटर्नस्) निकालना एवं सुझाना।

(5) गैर-फसल कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं क्षेत्र-विशेष के लिए उपयुक्त कृषि प्रसंस्करण गति विधियों के संबंध में सिफारिशें करना।

(6) क्षेत्र के कृषि संबंधी विकास हेतु माध्यमिक अवधि (5 वर्ष) तथा साथ ही साथ लम्बी अवधि (10 से 15 वर्ष) की उपयुक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी सिफारिश करना; ऐसे प्रस्तावों के समय को चरणबद्ध करना।

(7) इसके उद्देश्य के लिए आवश्यक अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अधिकृत कराना।

(8) क्षेत्रकों के विकास हेतु विशेष रूप में, ऐसे विकास को सहायता प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करना।

(9) इसके कार्य एवं उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

4. दल की बैठकों के संबंध में, टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/मंडुगाई भत्ते का व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में सदस्य के अपने विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकार/विश्व-विद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा तथा योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में यह व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

5. योजना दल के संबंध में कोई भी नवाचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग को संबोधित किया जा सकता है जो कृषि–जलवायविक क्षेत्रीय योजना परियोजना पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य–सचिव हैं।

6. योजना दल अन्तरिम रिपोर्ट जैसे और जब आवश्यक हो, सौंप सकता है तथा वह अपनी अंतिम रिपोर्ट कृषि–जलवायविक क्षेत्रीय योजना हेतु रिपोर्टों/जिला परिचछेदिका एवं अन्य आंकड़ों, की तैयारी की शर्तों के अनुसार सौंपेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रतिलिपि योजना दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी सम्बंधित मंत्रालयों एवं विभागों को संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ, संकल्प का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में कराया जाए।

एस० एन० ब्रह्मोचौधरी
निदेशक (प्रशासन)

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 4th July 1997

RESOLUTION

No. O 11012/2/97-98 ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988 the Planning Team for Eastern Himalayan Region (Zone-II) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. A. K. Mukhopadhyay, Vice-Chancellor, Assam Agricultural University, Jorhat, Assam.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Vice-Chancellor, BCKV, West Bengal.

3. Vice Chancellor, Central Agricultural University, Imphal, Manipur.

4—48.

(i) Agricultural Production Commissioner/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone

STATES IN THE ZONE

(i) Assam (Dispur)

(ii) West Bengal (Calcutta)

(iii) Arunachal Pradesh (Itanagar)

(iv) Manipur (Imphal)

(v) Meghalaya (Shillong)

(vi) Mizoram (Aizawal)

(vii) Nagaland (Kohima)

(viii) Tripura (Agartala)

(ix) Sikkim (Gangtok).

Members

49. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

50. Representative of NABARD.

51. Representative of concerned NGOs in the region. Shri Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram PO Chuchyimlong, Dist. Mokokchung, Nagaland.

52. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

53. Representative of ICAR, Head Quarter, New Delhi.

54. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

55. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

56. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

57. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

58. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

59. Member-Secretary for the Zonal Planning Team is to be nominated by Chairman of Planning Team from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently, under intimation to Planning Commission, New Delhi.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

The 14th July 1997

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Himalayan Region (Zone-I) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. R.P.S. Tyagi, Vice-Chancellor Himachal Pradesh Krishi Vishwavidalay Palampur, Himachal Pradesh.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Dr. Y. S. Parmar, University of Horticulture & Forestry, (via oonchghat), Solan, Himachal Pradesh.

3. (i) Shere Kashmir University of Agricultural Sciences, Shalimar Campus, Srinagar-191001.

(ii) 45-B, Gandhi Nagar, Jammu Tawi, Jammu-18004.

4. Dean College of Hill Agriculture and Forestry, Rani Chauri Campus of GBPUAT (Nominee of Vice-Chancellor, GBPUAT, Pant Nagar, Nanital).

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

(i) Jammu and Kashmir

(ii) Himachal Pradesh.

(iii) Uttar Pradesh.

Members

20. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

21. Representative of NABARD.

22. *Representative of concerned NGOs in the region.

23. Representative of Planning Commission, Government of India.

24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

25. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

26. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

27. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

28. Representative of Department of Wasteland Dev., Govt. of India.

29. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

30. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team. Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjusment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors,

technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 31d June, 1988, the Planning Team for Lower Gangetic Plains Region (Zone-III) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. M. G. Som, Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya (BCKV), Mohanpur, Distt. Nadia, West Bengal.

Members

2—6

(i) Agricultural Production C[illegible] S[illegible]ry, Agri. & Horticulture, Govt. [illegible]

(ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of West Bengal.

(iii) Secretary, Fisheries, Govt. of West Bengal.

(iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govt. of West Bengal.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, Govt. of West Bengal.

STATE IN THE ZONE

(i) West Bengal.

Members

7. Representative of Cooperative Land Development Bank of the State in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of concerned NGOs in the region.

10. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

11. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

13. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

14. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

15. Representative of Department of Wasteland Dev., Govt. of India.

16. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

17. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

Member-Secretary

Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region on sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports, district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Middle Gangetic Plains Region (Zone-IV) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission–Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. K. S. Chauhan, Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural University, Pusa, Distt. Samastipur, Bihar-848125.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Narendra Dev Unversity of Agriculture and Technology, Kumarganj, Distt. Faizabad, UP-224001.

3.—12.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

(i) Bihar

(ii) Uttar Pradesh.

Members

13. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

14. Representative of NABARD.

15. Representative of concerned NGOs in the region.

16. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

17. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

18. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

19. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

20. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

21. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

22. Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, (WB).

Member-Secretary

23. Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Upper Gangetic Plains Region (Zone-V) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delai and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. I.P.S. Yadav, Vice-Chancellor, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (UP)-208002.

Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology (GBPUAT), Pant Nagar, Dist. Nanital, U.P.

3—7

(i) Agricultural Production Commissioner/Secretary, Agri. & Horticulture, Govt. of Uttar Pradesh.

(ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of Uttar Pradesh.

(iii) Secretary, Fisheries, Govt. of Uttar Pradesh.

(iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govt. of Uttar Pradesh.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, of the Govt. of U.P.

STATES IN THE ZONE

Members

(i) Uttar Pradesh.

8. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

9. Representative of NABARD.

10. *Representative of concerned NGOs in the region.

11. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

12. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

13. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

14. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

15. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

16. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

17. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

18. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information, required for operational planning on Agro-climatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term, livestock, fisheries and other relevant sectors, posal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 the Planning Team of Trans Gangetic Plains Region (Zone-VI) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. Amarjit Singh Khera, Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Chaudhary Charan Singh Agricultural University, Hisar, Haryana-125004.

3. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334000.

4—28.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

(i) Punjab

(ii) Haryana

(iii) Rajasthan

(iv) UT of Chandigarh

(v) National Capital Territory of Delhi.

29. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone

Members

30. Representative of NABARD

31. *Representative of concerned NGOs in the region.

32. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

33. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

34. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

35. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

36. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

37. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

38. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

39. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Eastern Plateau and Hill Region (Zone-VII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. K. Pradhan, Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar-751003.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, Distt. Nadia, West Bengal.

3. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur (MP).

4. Birsa Agricultural University, Kanke, Ranchi, Bihar-834004.

5. Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Akola, Maharashtra.

6—30.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone

STATES IN THE ZONE

(i) Orissa

(ii) West Bengal

(iii) Madhya Pradesh

(iv) Bihar

(v) Maharashtra.

Members

31. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

32. Representative of NABARD.

33. *Representative of concerned NGOs in the region.

34. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

35. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

36. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

37. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

38. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

39. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

40. Director, Padmaja Nhidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, WB.

Member-Secretary

41. Dr. B. Bhuvan, Prof. & Head Agricultural Economics, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar-751003.

*NGO are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Central Plateau and Hill Region (Zone-VIII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. Punjab Singh, Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya (JNKVV), Jabalpur (MP)-482004.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334001.

3. Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology Kanpur-208002.

4—18.

(i) Agricultural Production Commissioner/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone,

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forests, of the Govts. of States in the Zone,

STATES IN THE ZONE

(i) Madhya Pradesh

(ii) Uttar Pradesh

(iii) Rajasthan

19. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

Members

20. Representative of NABARD.

21. *Representative of concerned NGOs in the region.

22. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

23. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

24. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

25. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

26. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

27. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

28. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

29. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discrition depending on capability and availability person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to those sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Plateau and Hill Region (Zone-IX) is re-constituted for giving suport to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. Y. S. Nerker, Vice-Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (MPKV), Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashtra-413722.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth (PKV), Krishi Nagar, Akola, Maharashtra-444104.

3. Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwavidyalaya (JNKV), Jabalpur (MP) Pin-482004.

4. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-33400.

5—19.

(i) Agricultural Production Commissioner/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

(i) Maharashtra

(ii) Madhya Pradesh

(iii) Rajasthan

20. Representative of Coperative Land Development Bank of the States in the Zone.

21. Representative of NABARD.

22. *Representative of concerned NGOs in the region.

23. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

25. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

26. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

27. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

28. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

29. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

30. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant informatio required for operational planning on Agroclimat basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Southern Pateau and Hill Region (Zone-X) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. P. Mahadevappa, Vice-Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad (Karnataka).

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad; Pin-500030.

3. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.

4. University of Agricultural Sciences, Bangalore, Karnataka-560065.

5—19.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES IN THE ZONE

(i) Andhra Pradesh

(ii) Karnataka

(iii) Tamil Nadu

20. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

21. Representative of NABARD.

22. *Representative of concerned NGOs in the region.

23. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

24. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

25. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

26. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

27. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

28. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

29. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

30. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Gov of India Resolution No. M-15043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for East Coast Plains and Hill Region (Zone-XI) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. A. Abdul Karim, Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad, Pin-500030.

3. Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar-751003.

4—23

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principle Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

(i) Andhra Pradesh

(ii) Orissa

(iii) Tamil Nadu

(iv) UT of Pondicherry

24. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

25. Representative of NABARD.

26. *Representative of concerned NGOs in the region.

27. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

28. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

29. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI.

30. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

31. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

32. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

33. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

34. *Member-Secretary for Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-economic Research Centre, according to his discrition depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who

is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team of West Coast Plains and Ghat Region (Zone-XII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. A. G. Sawant, Vice Chancellor, Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli Distt. Ratnagiri, Maharashtra-415712.

Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

Members

2. Kerala Agricultural University, Vellanikkara, Trichur-680654.

3. University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka.

4. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641003.

5—3[.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govts. of the States in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govts. of the States in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the States in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the States in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govts. of States in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

(i) Kerala

(ii) Tamil Nadu

(iii) Karnataka

(iv) Maharashtra

(v) Goa

(vi) Pondicherry (Mahe)

Members

35. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone

36. Representative of NABARD

37. *Representative of concerned NGOs in the region.

38. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

39. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

40. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, GOI

41. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

42. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

43. Representative of Department of Wasteland Development, GOI.

44. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, GOI.

Member-Secretary

45. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. Member-Secretary may be from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discrition depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Gujarat Plains and Hill Region (Zone-XIII) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. C. H. Rana, Vice-Chancellor, Gujarat Agricultural University Sardar Krushi Nagar, Distt. Banaskantha-385506.

Members

2—16.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, Govt. of the States in the the UTs in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, Govt. of the State and UTs in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, Govts. of the State and UTs in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, Govts. of the State and UTs in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forest, of the Govt. of State and UTs in the Zone.

STATES AND UNION TERRITORY IN THE ZONE

(i) Gujarat

(ii) U. Territory of Dadra & Nagar Haveli

(iii) U. Territory of Daman & Diu.

17. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

18. Representative of NABARD.

19. *Representative of concerned NGOs in the region.

20. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

21. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

22. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India.

23. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

24. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

25. Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.

26. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, Govt. of India.

Member-Secretary

27. *Member-Secretary for the Zonal Planning Team.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agro-climatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministeries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13013/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for Western Dry Region (Zone-XIV) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan upto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. R. K. Patel, Vice-Chancellor, Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334001.

Members

2—6.

(i) Agricultural Production Commissioner/Secretary, Agri. & Horticulture, Govt. of Rajasthan.

(ii) Secretary, Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan.

(iii) Secretary, Fisheries, Govt. of Rajasthan.

(iv) Secretary, Irrigation & Command Area, Govt. of Rajasthan.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, of the Govt. of Rajasthan.

STATE IN THE ZONE

(i) Rajasthan

Members

7. Representative of Cooperative Land Development Bank of the States in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of concerned NGOs in the region.

10. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

11. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India.

13. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

14. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

15. Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.

16. Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, (WB).

Member-Secretary

17. *Member-Secretary for the Zonal Planning Term.

*Member-Secretary and NGO Member are to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi, from concerned department of University handling the work of ACRP or Head of Agro-Economic Research Centre, according to his discretion depending on capability and availability of person to handle the work of ZPT efficiently. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

RESOLUTION

No. Q.11012/2/97-98-ARPU.—In supersession of Govt. of India Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988, the Planning Team for The Island Region (Zone-XV) is re-constituted for giving support to Agro-climatic Regional Planning Unit of Planning Commission-Delhi and its Unit at Ahmedabad. Agro-climatic Regional Planning Project has been approved for IXth Five Year Plan unto financial year (1997—2002).

2. The composition of the re-constituted team will be as follows :—

Chairman

1. Dr. G. B. Singh, Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

Members

2.—11.

(i) Agricultural Production Commissioners/Secretaries, Agri. & Horticulture, of the UTs in the Zone.

(ii) Secretaries, Animal Husbandry, of the UTs in the Zone.

(iii) Secretaries, Fisheries, of the UTs in the Zone.

(iv) Secretaries, Irrigation & Command Area, of the UTs in the Zone.

(v) Principal Chief/Chief Conservator of Forests, of the UTs in the Zone.

UTs IN THE ZONE

(i) Andaman, Nicobar Island

(ii) Lakshadweep

Members

12. Representative of Cooperative Land Development Bank of the UT in the Zone.

13. Representative of NABARD.

14. *Representative of concerned NGOs in the region.

15. Representative of Planning Commission, Govt. of India.

16. Representative of ICAR, Head-Quarter, New Delhi.

17. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India.

18. Representative of the Ministry of Water Resources, Govt. of India.

19. Representative of Ministry of Environment & Forests, Govt. of India.

20. Representative of Department of Wasteland Development, Govt. of India.

21. Representative of Department of Animal Husbandry & Dairying, Govt. of India.

Member-Secretary

22. Dr. A. K. Bandyopadyay, Director Central Agricultural Research Institute for Andaman and Nicobar Group of Island, Port Blair-744101.

*NGO member is to be nominated by Chairman of Planning Team under intimation to Planning Commission, New Delhi. NGO should be one actively working for development of Agriculture and Allied areas in the Zone.

3. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

(i) To collect and collate relevant information and data to support Agro-climatic Zonal Planning work as per requirement of Planning Commission/State Government and District Level for Institutionalisation/operationalisation of Agro-climatic Regional Planning.

(ii) To examine data collected earlier and to help in the decision of adjustment/updating on sub-regionalisation and any other relevant information required for operational planning on Agroclimatic basis.

(iii) ACRP planning data will be specified in respect of soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environment, social and economic factors to these sectors.

(iv) To derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions.

(v) To make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region.

(vi) To formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long term (10 to 15 years); time phasing of such proposal.

(vii) To undertake and if necessary get commissioned, studies required for its objectives.

(viii) To examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development.

(ix) To consider any other aspect relevant to its work and objectives.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Department/Ministries/State Government/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

5. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri), Planning Commission who is Member-Secretary of the High Level Committee on Agro-climatic Regional Planning Project.

6. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report as per terms and conditions of preparation of reports/district profile and other data for ACRP.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Administration)

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1998.